२१/3/18	वादी आवेदक के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 CPC पर पक्षकारों पेश हुए। पक्षकारों में अंकित ख.नं. 420 रकबा 3-00 बीघा में से 1-03 बीघा अंकित हो गया है। इस बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे दुरुस्त कर ख.नं. 420/3-00 बीघा में से 1-02 शुद्ध किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आज्ञानुसार पालना किया जावे। ख.नं. 420/3-00 में से 1-03 के स्थान पर रकबा 1-02 शुद्ध किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 115/15
दायर दिनांक 18.06.2015

निर्णय दिनांक 11/01/2018

उनवान

1. मुकेश कुमार
2. हुकमचन्द
3. देशराज
4. रतन कुमार पुत्रान श्री मानसिंह
5. रिसाल देवी पत्नि श्री मानसिंह जाति जाटान निवासीयान ग्राम झाडका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

1. जया पुत्री गोबिन्दराम
2. सुन्दरश्याम उर्फ मनोहरलाल पुत्र जयदयाल
3. आनन्दकुमार उर्फ हरिओम
4. मिलापचन्द
5. नरेन्द्र कुमार पुत्रान श्री दयालराम जाति खत्री निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0
6. उप–पंजियक महोदय, हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, लैण्ड होल्डर कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0। –प्रतिवादीगण
8. काशीराम पुत्र बसन्ताराम जाति जाट निवासी ग्राम झाडका तहसील कोटकासिम
9. यूको बैंक खैरथल जरिये शाखा प्रबंधक खैरथल, तहसील किशनगढबास
10. नारायणदास पुत्र जीवनदास
11. शिवलाल
12. गणपतराम
13. इन्दरलाल पुत्रान श्री किशनचन्द जाति खत्री
14. प्रेमदेवी पुत्री किशनचन्द
15. ताराचन्द पुत्र बिलाराम जाति खत्री निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर

गैर–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बमय हुक्मइम्तनाई दवामी
अंतर्गत धारा 88 , 89, 188 राज.टी.ऐ. 1955

उपस्थितः– श्री भगत सिंह चौधरी अभिभाषक वादीगण

वादीगण ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद अंतर्गत धारा 88 , 89, 188 राज.टी.ऐ. 1955 का इस आश्य का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 419/0.19 बीघा व आराजी हाल खसरा नम्बर 420/3–00 बीघा व आराजी हाल खसरा नम्बर 421/5.02 बीघा में से 1 बीघा 14 बिस्वा इस वादपत्र में विवादित आराजी कहलावगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 तक संलग्न वादपत्र है। व नकल जमाबंदी सम्वत 2023, 2029, 2056, 2060 से 2067 नकल नामान्तकरण सं0 228, 267, नकल दो लिखितम बैयनामेजात दि0 8/5/1972 व पंजिबद्ध दिनांकित 15/05/1972 संलग्न वादपत्र है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 419 में साबिक खसरा नम्बर 1536/0.06, 1537/0.06, 1537/0.02, 1538/0.01,1538/0.02, 1539/0.02, 1540/0.15, 1580/0.10, 1581/0.01 बीघा कुल 34 बिस्वा यानि 1 बीघा 14 बिस्वा शामिल किया गया है। वास्ते मुलाहिजा नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न वादपत्र है। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बरान 1536/0.07, 1537/0.01, 1538/0.04, 1539/0.03, 1540/0.08, 1580/0.05, 1581/0.03 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का असल मालिक काबिज खातेदार काश्तकार गोबिन्दराम पुत्र श्री कोटूराम जाति खत्री साकिन मिर्जापुर था। जिसके नाम का स्पष्ट अंकन जमाबंदी सम्वत 2023 के खाता सं0 22 में हो रहा है। गोबिन्दराम ने उक्त आराजीयात की खातेदारी सनद सं0 1314 (71) दिनांक 22/10/1971 को तत्कालीन कम मैनेजिंग ऑफिसर, किशनगढबास जिला–अलवर राज0 से प्राप्त करने के वाद मिन वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिताजी व वादिया सं0 5 के पति श्री मानसिंह पुत्र श्री छंगा जाति जाट ग्राम झाडका ने गोबिन्दराम से उक्त आराजीयात की समस्त प्रतिफल की राशि को अदा कर जरिये तहरीर लिखतम बैयनामा दिनांकित 08/05/1972 के बाजाप्ता बाकब्जा गोबिन्दराम से खरीद की है और बैयनामा भी विधिवत रूप से तत्कालीन उप–पंजियक अधिकारी, किशनगढबास द्वारा दिनांक 15/05/1972 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 57, पृष्ठ संख्या 113–114 क्रम संख्या 375 पर पंजिबद्ध किया गया है। इसी तरह आराजी साबिक खसरा नम्बरान 1536/0.06, 1537/0.02, 1538/0.04, 1540/0.08, 1580/0.05, 1581/0.02 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के असल मालिक काबिज खातेदार काश्तकार हुकमचन्द, गोबिन्दराम, दयालदास पुत्रान श्री कोटूराम जाति खत्री साकिन मिर्जापुर थे। जिनके नाम का स्पष्ट अंकन जमाबंदी सम्वत 2023 के खाता सं0 18 में हो रहा है। इन्होने उक्त आराजीयात की खातेदारी सनद दिनांक 26.09.1970 को तत्कालीन कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर जिला–अलवर राज0 से प्राप्त की उसके बाद मिन वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिताजी व वादिया सं0 5 के पति श्री मानसिंह पुत्र श्री छंगा जाति जाट ग्राम झाडका ने गोबिन्दराम, हुकमचन्द, दयालदास को उक्त आराजीयात की समस्त प्रतिफल की राशि आदा कर बाजाप्ता

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

बाकब्जा जरिये लिखतम बैयनामा दिनांक 08.05.1972 के इनसे खरीद की है और बैयनामा भी विधिवत रूप से तत्कालीन उप–पंजियक अधिकारी, किशनगढबास द्वारा दिनांक 15.05.1972 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 57, पृष्ठ संख्या 133–134 क्रम संख्या 385 पर पंजिबद्ध किया गया है। उक्त दोनों बैयनामों द्वारा उक्त खरीदशद्वा आराजीयात का नामान्तरकरण मानसिंह जी ने अपने पक्ष में दर्ज व स्वीकार कराने हेतु उक्त आराजीयात को खरीदने के तुरन्त बाद ही तत्कालीन हल्का पटवारी ने उक्त दोनो असल बैयनामे मानसिंह को यह कहकर वापिस लौटा दिये कि उक्त दोनों बैयनामों के आधार पर खरीद की हुई उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण तुम्हारे पक्ष में दर्ज व स्वीकार कर दिया गया है। मिन वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिताजी व वादिया सं0 5 के पति मानसिंह ग्रामीण परिवेश के अनपढ सीधे–साधे किसान व कानून कायदो का ज्ञान नही होने के कारण उन्होने तत्कालीन हल्का पटवारी की इस बात का विश्वास कर लिया। उक्त दोनों बैयनामो से उक्त खरीदशुद्ध आराजीयात पर वक्त खरीद के दिन से ही मिन वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिताजी व वादिया सं0 5 के पति श्री मानसिंह पुत्र श्री छंगा काबिज व दाखिल होकर काश्त करते रहे। उनकी फौतगी के बाद मिन वादीगण उनके जायज व विधिक वारिसान उनके फूटस्टेप पर काबिज व दाखिल होकर उक्त खरीदशुद्धा आराजीयाता पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर मिन वादीगणों का आराजी हाल खसरा नम्बर 419 में अपने 4 बिस्वा पर, आराजी हाल खसरा नम्बर 420 में अपने 1 बीघा 03 बिस्वा पर व आराजी हाल खसरा नम्बर 421 में अपने 1 बीघा 14 बिस्वा पर वास्तविक कब्जा काश्त है। उक्त आराजीयात उक्त दानों बैयनामों के आधारा पर मानसिंह जी के द्वारा खरीदने पश्चात उक्त दोनों बैयनामों के आधार पर मानसिंह जी के द्वारा खरीदने के पश्चात उक्त खरीदशुद्धा आराजीयात से गोबिन्दराम, दयालदास, हुकमचन्द का व इनके वारिसान प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 का कभी भी किसी भी प्रकार का सम्बंध व सरोकार नही रहा है और ना ही ये काबिज काश्त रहे ये गैरकाबिज सख्स है। इसके बावजूद भी इन्होने अपने नाम का अंकन सैटिलमेन्ट के अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत जमाबंदी सम्वत 2029 मे खिलाफ मौका व खिलाफ कानून कराया जो अंकन जमाबंदी सम्वत 2056 से ता हाल जमाबंदी में बदस्तूर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून चला आ रहा है। प्रतिवादिया सं0 1 के पिता गोबिन्दराम की फौतगी के बाद प्रतिवादिया सं0 1 ने इनकी विरासत का इंतकाल सं0 228 राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर मिन वादीगणों के पिता व पति मानसिंह द्वारा उक्त आराजीयात खरीदशुद्धा का हक हिस्से भी अपने नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून शामिल कराते हुये अपने नाम दर्ज व स्वीकार करा लिया । जिसकी पुनरावृति ता हाल राजस्व रिकॉर्ड में बस्तूर हो रही है। जबकि प्रतिवादिया सं0 1 का वादीगणों की खरीदशुद्धा आराजी से कभी भी किसी भी प्रकार का लेना–देना नही रहा है और ना ही वो कभी काबिज काश्त रही और ना अब है। इसी तरह उक्त आराजीयात उक्त दोनो बैयनामो के आधार पर मानसिंह जी के द्वारा खरीदने के पश्चात उक्त खरीदशुद्धा आराजीयात से गोबिन्दराम, दयालदास का व इनके वारिसान प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 का कभी भी किसी भी प्रकार संबन्ध व सरोकार नही रहा है और ना ही ये काबिज काश्त रहे ये गैरवास्ता गैरकाबिज सख्स है। हुकमचन्द ने उक्त आराजीयात को भी वसीयत में शामिल करते हुये खिलाफ मौका व खिलाफ कानून अपने वारिसान प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 को की और वसीयत के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 ने भी उक्त खरीदशुद्धा आराजी का भी नामान्तरकरण खिलाफ मौका व खिलाफ मौका अपने नाम दर्ज व स्वीकार करा लिया। जिसकी पुनरावृति ता हाल राजस्व रिकोर्डस में होती चली आ रही है। इस तरह नामान्तरकरण सं0 228 व 267 व इनके आधार पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 के नाम का अमल राजस्व रिकोर्ड जमाबंदीयात में हो रहा है वो मिन वादीगणो के उक्त खरीदशुद्धा हिस्से तक नल एण्ड वाईड बातिल व बेअसर शून्य है। इसलिए वादीगण का वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती पारित की जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 419/0.19 बीघा मे से वादीगण के हक हिस्से की 04 बिस्वा तक व आराजी खसरा नम्बर 420/3–00 बीघा मे से वादीगण के हक हिस्से 1 बीघा 03 बिस्वा तक व आराजी हाल खसरा नम्बर 421/5.02 बीघा मे से वादीगणो के 1 बीघा 14 बिस्वा हक हिस्से तक प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 के बुर्जुगानो का नाम व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 का नाम जमाबंदी सम्वत 2029 से लेकर ता हाल जमाबंदियो तक मे से कलमजन किया जाकर नामान्तरकरण सं0 228 व 267 को वादीगणो के उक्त हिस्सो तक नल एण्ड वाईड व बेअसर शून्य करार दिया जाकर वादीगणो को उक्त दोनो लिखतम बैयनामौ दिनांकित 8/5/1972, रजिस्टर्ड बैयनामे दिनांकित 15/05/1972 के अनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 419 मे से 04 बिस्वा का व आराजी हाल खसरा नम्बर 420 मे 1 बीघा 03 बिस्वा का व आराजी हाल खसरा नम्बर 421 मे 1 बीघा 14 बिस्वा का वादीगणो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी कदर वादीगणो के नाम का अमल दरामद राजस्व रिकोर्डस मे किया जावे एवं हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबन्द किया जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड तलवाना तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 व 8 लगायत 15 बावजूद सूचना उपस्थित नही। इसलिए इनके खिलाफ दिनांक 8.11.2017 को एकतर्फा कार्यवाही अमल में लाइ गई । प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। जिसमें अंकित किया की प्रत्येक बिन्दु को वादीगण स्वयं साबित करे। वाद दोनो पक्षकारो के मध्य का है। वाद पत्र में वादीगण द्वारा पी0डब्लू0 1 मुकेश कुमार पी0डब्लू0 2 भीमसिंह पी0डब्लू0 3 शादीराम के साक्ष्य में शपथपत्र पेश किये गये ।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ओर कहा कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 419 में साबिक खसरा नम्बर 1536/0.06, 1537/0.06, 1537/0.02, 1538/0.01,1538/0.02, 1539/0.02, 1540/0.15, 1580/0.10, 1581/0.01 बीघा कुल 34 बिस्वा यानि 1 बीघा 14 बिस्वा शामिल किया गया है। वास्ते मुलाहिजा नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न वादपत्र है। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बरान 1536/0.07, 1537/0.01, 1538/0.04, 1539/0.03, 1540/0.08, 1580/0.05, 1581/0.03 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का असल मालिक काबिज खातेदार काश्तकार गोबिन्दराम पुत्र श्री कोटूराम जाति खत्री साकिन मिर्जापुर था। जिसके नाम का स्पष्ट अंकन जमाबंदी सम्वत 2023 के खाता सं0 22 में हो रहा है। गोबिन्दराम ने उक्त आराजीयात की खातेदारी सनद सं0 1314 (71) दिनांक 22/10/1971 को तत्कालीन कम मैनेजिंग ऑफिसर, किशनगढबास जिला–अलवर राज0 से प्राप्त करने के वाद मिन वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिताजी व वादिया सं0 5 के पति श्री

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

मानसिंह पुत्र श्री छंगा जाति जाट ग्राम झाडका ने गोविन्दराम से उक्त आराजीयात की समस्त प्रतिफल की राशि को अदा कर जरिये तहरीर लिखतम बैयनामा दिनांकित 08/05/1972 को बाजाप्ता बाकब्जा गोविन्दराम से खरीद की है और बैयनामा भी विधिवत रूप से तत्कालीन उप–पंजियक अधिकारी, किशनगढबास द्वारा दिनांक 15/05/1972 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 57, पृष्ठ संख्या 113–114 क्रम संख्या 375 पर पंजिबद्ध किया गया है। इसी तरह आराजी साबिक खसरा नम्बरान 1536/0.06, 1537/0.02, 1538/0.04, 1540/0.08, 1580/0.05, 1581/0.02 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के असल मालिक काबिज खातेदार काश्तकार हुकमचन्द, गोविन्दराम, दयालदास पुत्रान श्री कोटूराम जाति खत्री साकिन मिर्जापुर थे। जिनके नाम का स्पष्ट अंकन जमाबंदी सम्वत 2023 के खाता सं0 18 में हो रहा है। इन्होने उक्त आराजीयात की खातेदारी सनद दिनांक 26.09.1970 को तत्कालीन कम मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर जिला–अलवर राज0 से प्राप्त की उसके बाद मिन वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिताजी व वादिया सं0 5 के पति श्री मानसिंह पुत्र श्री छंगा जाति जाट ग्राम झाडका ने गोबिन्दराम, हुकमचन्द, दयालदास को उक्त आराजीयात की समस्त प्रतिफल की राशि आदा कर बाजाप्ता बाकब्जा जरिये लिखतम बैयनामा दिनांक 08.05.1972 के इनसे खरीद की है और बैयनामा भी विधिवत रूप से तत्कालीन उप–पंजियक अधिकारी, किशनगढबास द्वारा दिनांक 15.05.1972 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 57, पृष्ठ संख्या 133–134 क्रम संख्या 385 पर पंजिबद्ध किया गया है। उक्त दोनों बैयनामों द्वारा उक्त खरीदशद्धा आराजीयात का नामान्तरकरण मानसिंह जी ने अपने पक्ष में दर्ज व स्वीकार कराने हेतु उक्त आराजीयात को खरीदने के तुरन्त बाद ही तत्कालीन हल्का पटवारी ने उक्त दोनो असल बैयनामे मानसिंह को यह कहकर वापिस लौटा दिये कि उक्त दोनों बैयनामों के आधार पर खरीद की हुई उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण तुम्हारे पक्ष में दर्ज व स्वीकार कर दिया गया है। मिन वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिताजी व वादिया सं0 5 के पति मानसिंह ग्रामीण परिवेश के अनपढ सीधे–साधे किसान व कानून कायदो का ज्ञान नही होने के कारण उन्होने तत्कालीन हल्का पटवारी की इस बात का विश्वास कर लिया। उक्त दोनों बैयनामो से उक्त खरीदशुद्ध आराजीयात पर वक्त खरीद के दिन से ही मिन वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिताजी व वादिया सं0 5 के पति श्री मानसिंह पुत्र श्री छंगा काबिज व दाखिल होकर काश्त करते रहे। उनकी फौतगी के बाद मिन वादीगण उनके जायज व विधिक वारिसान उनके फूटस्टेप पर काबिज व दाखिल होकर उक्त खरीदशुद्धा आराजीयाता पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर मिन वादीगणों का आराजी हाल खसरा नम्बर 419 में अपने 4 बिस्वा पर, आराजी हाल खसरा नम्बर 420 में अपने 1 बीघा 03 बिस्वा पर व आराजी हाल खसरा नम्बर 421 में अपने 1 बीघा 14 बिस्वा पर वास्तविक कब्जा काश्त है। उक्त आराजीयात उक्त दानों बैयनामों के आधारा पर मानसिंह जी के द्वारा खरीदने पश्चात उक्त खरीदशुद्धा आराजीयात से गोबिन्दराम, दयालदास, हुकमचन्द का व इनके वारिसान प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 का कभी भी किसी भी प्रकार का सम्बंध व सरोकार नही रहा है और ना ही ये काबिज काश्त रहे ये गैरकाबिज सख्स है। इसके बावजूद भी इन्होने अपने नाम का अंकन सैटिलमेन्ट के अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत जमाबंदी सम्वत 2029 मे खिलाफ मौका व खिलाफ कानून कराया जो अंकन जमाबंदी सम्वत 2056 से ता हाल जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

में बदस्तूर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून चला आ रहा है। प्रतिवादिया सं0 1 के पिता गोबिन्दराम की फौतगी के बाद प्रतिवादिया सं0 1 ने इनकी विरासत का इंतकाल सं0 228 राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर मिन वादीगणों के पिता व पति मानसिंह द्वारा उक्त आराजीयात खरीदशुद्धा का हक हिस्से भी अपने नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून शामिल कराते हुये अपने नाम दर्ज व स्वीकार करा लिया । जिसकी पुनरावृति ता हाल राजस्व रिकॉर्ड में बस्तूर हो रही है। जबकि प्रतिवादिया सं0 1 का वादीगणों की खरीदशुद्धा आराजी से कभी भी किसी भी प्रकार का लेना–देना नही रहा है और ना ही वो कभी काबिज काश्त रही और ना अब है। इसी तरह उक्त आराजीयात उक्त दोनो बैयनामो के आधार पर मानसिंह जी के द्वारा खरीदने के पश्चात उक्त खरीदशुद्धा आराजीयात से गोबिन्दराम, दयालदास का व इनके वारिसान प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 का कभी भी किसी भी प्रकार संबन्ध व सरोकार नही रहा है और ना ही ये काबिज काश्त रहे ये गैरवास्ता गैरकाबिज सख्स है। हुकमचन्द ने उक्त आराजीयात को भी वसीयत में शामिल करते हुये खिलाफ मौका व खिलाफ कानून अपने वारिसान प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 को की और वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 ने भी उक्त खरीदशुद्धा आराजी का भी नामान्तरकरण खिलाफ मौका व खिलाफ मौका अपने नाम दर्ज व स्वीकार करा लिया। जिसकी पुनरावृति ता हाल राजस्व रिकोर्डस में होती चली आ रही है। इस तरह नामान्तरकरण सं0 228 व 267 व इनके आधार पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 के नाम का अमल राजस्व रिकोर्ड जमाबंदीयात में हो रहा है वो मिन वादीगणो के उक्त खरीदशुद्धा हिस्से तक नल एण्ड वाईड बातिल व बेअसर शून्य है। इसलिए वादीगण का वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती पारित की जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 419/0.19 बीघा मे से वादीगण के हक हिस्से की 04 बिस्वा तक व आराजी खसरा नम्बर 420/3–00 बीघा मे से वादीगण के हक हिस्से 1 बीघा 03 बिस्वा तक व आराजी हाल खसरा नम्बर 421/5.02 बीघा मे से वादीगणो के 1 बीघा 14 बिस्वा हक हिस्से तक प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 के बुर्जुगानो का नाम व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 का नाम जमाबंदी सम्वत 2029 से लेकर ता हाल जमाबंदियो तक मे से कलमजन किया जाकर नामान्तरकरण सं0 228 व 267 को वादीगणो के उक्त हिस्सो तक नल एण्ड वाईड व बेअसर शून्य करार दिया जाकर वादीगणो को उक्त दोनो लिखतम बैयनामौ दिनांकित 8/5/1972, रजिस्टर्ड बैयनामे दिनांकित 15/05/1972 के अनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 419 मे से 04 बिस्वा का व आराजी हाल खसरा नम्बर 420 मे 1 बीघा 03 बिस्वा का व आराजी हाल खसरा नम्बर 421 मे 1 बीघा 14 बिस्वा का वादीगणो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी कदर वादीगणो के नाम का अमल दरामद राजस्व रिकोर्डस मे किया जावे एवं हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबन्द किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बरान का असल मालिक काबिज खातेदार काश्तकार गोविन्दराम पुत्र काडूराम कौम खत्री निवासी मिर्जापुर था। जिसने सनद प्राप्त करने के वाद मिन वादीगण 1 लगा0 4 के पिता व वादिया सं0 5 के पति मानसिंह पुत्र छंगा जाति जाट ग्राम झाड़का ने जरिये बैयनामा

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 15.05.1972 व 08.05.1972 के द्वारा खरीद किया है। जिसका अमल राजस्व रिकॉर्ड में नही आया। जिसे दुरूस्त किया जाकर मिन वादीगण सं. 1 लगा. 4 व वादीगण सं0. 5 के पति मानसिंह पुत्र छंगा के नाम मुताबिक बयनामा दर्ज किया जावे। दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। साबिक ख0न0 1536 मिन 1537 मिन, 1558 मिन, 1540 मिन, 1580 मिन 1581 मिन जबाबन्दी सं0 2023 में पट्टेदारान के नाम का अमल हो रहा है। उनकी फौतगी के वाद इन्तकाल व जमाबन्दीयात में वारिसान के नाम का अमल हो रहा है। रजिस्टर्ड बयनामा कर अवलोकन किया गया। विवादित आराजी साबिक ख0न0 1536 मिन, 1537 मिन, 1538 मिन, 1539 मिन, 1540 मिन, 1580 मिन, 1581 मिन जो दो अलग–अलग बैयनामा के द्वारा खरीद की हुई है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही पाया। रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 हाल 419/0–19 में से 04 बिस्वा, 420/3–00 बीघा में से 01 बीघा 03 बिस्वा 421/5–02 बीघा में से 01 बीघा 14 बिस्वा का वाकै ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम वादीगण सं0 1 लगा0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 5 के नाम विवादित आराजी से हजफ कर वादीगण सं0 1 लगा0 5 के नाम का इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2018 को टंकित किया जाकर सरेइजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

(1)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

निर्णय दिनांक 11/01/2018

मुकदमा संख्या 115 / 15
दायर दिनांक 10.06.2015

उनवान

1. मुकेश कुमार
2. हुकमचन्द
3. देशराज
4. रतन कुमार पुत्रान श्री मानसिंह
5. रिसाल देवी पत्नि श्री मानसिंह जाति जाटान निवासीयान ग्राम झाडका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

1. जया पुत्री गोबिन्दराम
2. सुन्दरश्याम उर्फ मनोहरलाल पुत्र जयदयाल
3. आनन्दकुमार उर्फ हरिओम
4. मिलापचन्द
5. नरेन्द्र कुमार पुत्रान श्री दयालराम जाति खत्री निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0
6. उप–पंजियक महोदय, हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, लैण्ड होल्डर कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0। –प्रतिवादीगण
8. काशीराम पुत्र वसन्ताराम जाति जाट निवासी ग्राम झाडका तहसील कोटकासिम
9. यूको बैंक खैरथल जरिये शाखा प्रबंधक खैरथल, तहसील किशनगढबास
10. नारायणदास पुत्र जीवनदास
11. शिवलाल
12. गणपतराम
13. इन्दरलाल पुत्रान श्री किशनचन्द जाति खत्री
14. प्रेमदेवी पुत्री किशनचन्द
15. ताराचन्द पुत्र बिलाराम जाति खत्री निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

(2)

१२–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बमय हुक्मइम्तनाई दवामी
अंतर्गत धारा 88 , 89, 188 राज.टी.ऐ. 1955

उपस्थितः– श्री भगत सिंह चौधरी अभिभाषक वादीगण

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 हाल 419/0–19 में से 04 बिस्वा, 420/3–00 बीघा में से 01 बीघा 03 बिस्वा 421/5–02 बीघा में से 01 बीघा 14 बिस्वा का वाकै ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम वादीगण सं0 1 लगा0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 5 के नाम विवादित आराजी से हजफ कर वादीगण सं0 1 लगा0 5 के नाम का इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2018 को टंकित किया जाकर सरेइजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner